भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1259

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव

1259. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि जलवायु संबंधी आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने से देश के नागरिकों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा या है;

(ख) सरकार द्वारा देश भर में ऐसे सुभेद्य व्यक्तियों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील राज्यों में विशेष मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया है, जैसे कि आन्ध्र प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ): एनडीएमए से प्राप्त सूचना के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक सहायता सेवाओं (एमएचपीएसएस) के बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश वर्ष 2009 में प्रकाशित किए गए थे। इसे वर्ष 2023 में अद्यतन किया गया है, जिसका उद्देश्य तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया, बहाली, पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहित आपदा के सभी चरणों द्वारा ठोस कार्यों और कार्यकलापों को प्रदान करना है। यह दिशानिर्देश एनडीएमए की आधिकारिक वेबसाइट (अर्थात् https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/Guidelines_Mental_Health_Psychosocial_Support_Dec23.pdf) पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एनआईएमएचएएनएस, बेंगलुरु के सहयोग से आपदा मानसिक स्वास्थ्य तैयारियों के लिए रेडी रेकनर के रूप में आपदा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु मॉड्यूल विकसित

किए हैं। (मॉड्यूल का लिंक: https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Technical%20Documents/NDMA-Module-4.pdf)।

एनडीएमए ने अक्तूबर माह 2023 में सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को सिक्किम सरकार के अनुरोध के बाद तत्काल मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए रहबर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) के सहयोग से जीएलओएफ आपदा की प्रतिक्रिया में सिक्किम राज्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परियोजना शुरू की है।

लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए, सरकार ने कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

i. बच्चों, वयस्कों, बुजुर्गों, महिलाओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों में विभाजित संपूर्ण प्रभावित आबादी को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन की स्थापना।
ii. समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश/परामर्शी जारी करना।
iii. तनाव और चिंता के प्रबंधन पर रचनात्मक और ऑडियो-विज़ुअल सामग्री के रूप में विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रचार, और सभी के लिए समर्थन और देखभाल के वातावरण को बढ़ावा देना।
iv. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस, बेंगलुरु द्वारा विस्तृत दिशानिर्देशों का जारी करना और उनका प्रसार- "कोविड-19 महामारी के समय में मानसिक स्वास्थ्य - सामान्य चिकित्सा और विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या स्थापना के लिए मार्गदर्शन"।
v. सभी दिशानिर्देश, सलाह और समर्थन सामग्री को "व्यवहार स्वास्थ्य – मनोसामाजिक हेल्पलाइन"के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.mohfw.gov.in/) पर देखा जा सकता है।
vi. एनआईएमएचएएनएस द्वारा -दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनोसामाजिक सहायता और प्रशिक्षण (आईजीओटी) प्रशिक्षण प्रदान करने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का ऑनलाइन क्षमता निर्माण करना।

सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक उपलब्धता में सुधार के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है। दिनांक 30.01.2024 तक, 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 47 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 6,28,000 से अधिक कॉल हैंडल की गई हैं।

सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 738 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती

है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के तहत बनाई गई सुविधाओं में बहिरंग रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक उपाय, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की सतत परिचर्या और सहायता, औषधियां, पहुंच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाले अंतरंग सुविधा का प्रावधान है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.6 लाख से अधिक एसएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी और यूएचडब्ल्यूसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नयन किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और मन:प्रभावी पदार्थ उपयोग विकारों (एमएनएस) पर परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किया है।

****